



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Ministry of Education, Dept. of School Education & Literacy, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया(असम)/ REGIONAL OFFICE, TINSUKIA (ASSAM)

प्रांगण : केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया/Campus: Kendriya Vidyalaya Tinsukia

राजा अली रोड, नौ-पुखुरी, जिला : तिनसुकिया - 786125/Raja Ali Road, Nau-Pukhuri, Tinsukia - 786125

दूरभाष /Tel:0374-2800031/2800056/2800091, वेबसाईट/Website:rotinsukia.kvs.gov.inई-मेल/ E-mail: ro-tinsukia@kvs.gov.in

F.No.42058/2026-27/KVS-RO/TSK/Admin/ **12524-55**

Date: 10.08.2026

कार्यालय आदेश/Office Order

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया में दिनांक **06.08.2026** को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति सदस्यों की संस्तुति/सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित स्नातकोत्तर/प्रशिक्षित स्नातक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्राथमिक शिक्षकों को नियमानुसार वरिष्ठ वेतनमान उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या **06** में दर्शाए दिनांक से एवं सातवें वेतन आयोग की वेतन तालिका में उल्लेखित वेतन मैट्रिक्स के लेवल में इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे **12** वर्ष की नियमित सेवा समान पद पर पूर्ण कर चुके हैं। यदि किसी भी कारण से कार्मिक वरिष्ठ वेतनमान के लिए अयोग्य पाए जाते हैं तो कार्मिक को स्वीकृत वरिष्ठ वेतनमान निरस्त कर दिया जाएगा।

On the recommendation of the Departmental Promotion Committee members in the meeting, held on **06.08.2026** at Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Tinsukia, the following PGTs/TGTs/Librarians & PRTs are hereby sanctioned Senior Scale as per rules from the date shown in column number 06 against their names and in the level of pay matrix mentioned in the pay table of the Seventh Pay Commission with the condition that they have completed 12 years of regular service in the same post. If for any reason the personnels are found ineligible for Senior Scale, then the Senior Scale approved to the personnel will be cancelled.

Sl. No.	Name of Employee (Mr./Mrs./Miss)	Designation	KV where working	Date of appointment in KVS on present post	Date of grant Senior Scale	Pay Level as per 7 th CPC
1	2	3	4	5	6	8
1	Mamata Hembram	Librarian	Chabua	29.03.2012	01.01.2025	Level - 08

कुल - 01 प्रकरण (01 पात्र एवं शून्य अपात्र)/Total - 01 Cases (Eligible -01 & Ineligible - NIL)


(टी. प्रीतम सिंह)
उपायुक्त

वितरण: -

1. सम्बंधित कर्मचारी/Employee Concerned.
2. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति सम्बंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंपें। कृपया सम्बंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि कर आदेश की प्रति व्यक्तिगत पत्रावली में नत्थी करें साथ ही सम्बंधित कार्मिक से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प पत्र (Option Form) एवं वचनबद्धता (Undertaking) प्राप्त कर सम्बंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं विकल्प पत्र के साथ इस आदेश की तिथि से एक माह की भीतर वित्त अधिकारी के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया को प्रेषित करें। बकाया के भुगतान से पहले संबंधित कर्मचारी से एक वचन पत्र प्राप्त किया जा सकता है कि नियमों के अनुसार अपात्र पाए जाने पर किए गए किसी भी

अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी। Principal, concerned Kendriya Vidyalaya with the request to hand over a copy of this order to the concerned employee with proper acknowledgement. Please make the necessary entry in the service book of the concerned employee and attach a copy of the order in the personal file. Also, obtain the Option Form and Undertaking for pay fixation from the concerned personnel and send the service book of the concerned employee along with the pay fixation form and option letter to the Finance Officer K.V.S., Regional Office, Tinsukia within one month from the date of this order. An undertaking may be obtained from the employee concerned before payment of Arrears/dues that any over payment made will be recovered in case found non-eligible as per rules.

3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), के.वि.सं. (मु.) नई-दिल्ली को सूचनार्थ । Joint Commissioner (Admin), KVS (HQ) New Delhi.
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ । Deputy Commissioner, KVS All Regional Office.
5. वित्त अधिकारी, के.वि.सं. (क्षे.का.), तिनसुकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/FO KVS RO Tinsukia.
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के सचिव एवं अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित / Secretary & President, All recognized service associations of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. गार्ड फाईल ।/Guard File